दिनांक 18.01.2014 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति की 9वीं बैठक की कार्यवाही:–

सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार, कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा/बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर एवं सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

2. मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि कृषि रोड मैप के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध जिन कार्य मदों में उपलब्धि में कमी हुई है उन्हें वर्ष 2013–14 के लक्ष्य में जोड़ते हुए 2013–14 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि वर्ष 2011–12 में राज्य द्वारा गेहूँ के उत्पादन में राष्ट्रीय रिकार्ड तथा आलू के उत्पादन में विश्व रिकार्ड बनाया गया। पिछले कुछ वर्षो से वर्षापात में कमी के कारण धान के उत्पादन में कमी आयी है।

4. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया कि राज्य योजना अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में अनुमोदित उद्व्यय ₹ 34000 करोड़ के विरूद्ध 15.01.2014 तक ₹ 22304 करोड़ का व्यय हुआ है। कृषि रोड मैप से संबंधित 12 विभागों का अनुमोदित उद्व्यय ₹ 12103 करोड़ के विरूद्ध ₹ 6937 करोड़ व्यय हुआ है जो इन 12 विभागों के उद्व्यय का 57.31 प्रतिशत है।

5. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि कृषि रोड मैप में कुल 70 कार्यमद सम्मिलित हैं। इनमें से 15.01.2014 तक 23 कार्यमद में 60 प्रतिशत से अधिक, 15 कार्यमद में 30–60 प्रतिशत के बीच तथा शेष 32 कार्यमद में उपलब्धि 30 प्रतिशत से नीचे है।

6. **कृषि विभाग**

6.1 राज्य योजना की समीक्षा में पाया गया कि विभाग का निर्धारित उद्व्यय ₹ 2161.42 करोड़ है। 15.01.2014 तक का व्यय ₹ 1186.62 करोड़ है, जो कुल उद्व्यय 54.92 प्रतिशत है। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि डीजल सब्सिडी मद में निर्धारित उद्व्यय में से ₹ 200 करोड़ बचत होने की संभावना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मद में अनुमोदित उद्व्यय ₹ 551.42 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 417 करोड़ भारत सरकार द्वारा विमुक्त किया गया है। शेष निधि विमुक्त होने की संभावना नहीं है।

6.2 इस विभाग के कृषि रोड मैप में 19 कार्य मद सम्मिलित है। धान के बीज के विस्थापन दर का वर्ष 2013–14 में भौतिक लक्ष्य 41 के विरूद्ध उपलब्धि 40.77 है। यह उपलब्धि 99.44 प्रतिशत है। गेहूँ के बीज का विस्थापन दर के लक्ष्य 36 के विरूद्ध उपलब्धि 35.73 प्रतिशत है, जो 99.25 प्रतिशत है। दलहन (अरहर) के बीज विस्थापन दर का लक्ष्य 30 के विरूद्ध उपलब्धि 19.42 है जो 64.72 प्रतिशत है।

बगीचा बचाओं अभियान में 2013–14 में उपलब्धि 55.78 प्रतिशत, सघन रोपण विधि से बाग की स्थापना में 21.23 प्रतिशत, जैविक सब्जी के क्षेत्रफल में 43.21 प्रतिशत, किसान समूह/फेडरेशन के गठन में 12.50 प्रतिशत, वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन में 87.29 प्रतिशत, जैव उर्वरक में 56.14 प्रतिशत, गोबर/बायो गैस में 7.88 प्रतिशत, पावर टिलर/छोटा ट्रैक्टर में 47.49 प्रतिशत, जीरो टिलेज में 9.37 प्रतिशत, कम्बाइन्ड हार्वेस्टर में 32.57 प्रतिशत, गेहूँ की श्रीविधि तकनीक से प्रत्यक्षण में 91.56 प्रतिशत, गेहूँ की श्रीविधि तकनीक से गैर प्रत्यक्षण में 67.78 प्रतिशत, धान की श्रीविधि तकनीक से प्रत्यक्षण में 94.46 प्रतिशत, धान की श्रीविधि तकनीक से गैर प्रत्यक्षण में 52.69 प्रतिशत, जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती में 87.65 प्रतिशत, दक्षिण बिहार में मक्का की खेती में 96.97 प्रतिशत तथा अरहर की खेती में 9.52 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

6.3 समीक्षा में इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी कि विगत वर्षो में मौसम/वर्षापात की अनिश्चितता को देखते हुए कृषि फसलो के लिए (Agriculture cropping) के स्ट्रेटजी को बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए डा0 मंगला राय, मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यशाला कराने का निदेश कृषि विभाग को दिया गया। इस कार्यशाला में दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, कृषि वैज्ञानिक, संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी भाग लेंगे।

(अनुपालनः–कृषि विभाग)

6.4 दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति को धान के ऐसे बीज को विकसित करने हेतु कहा गया जिसमें मात्र दो सिंचाई की आवश्यकता हो।

(अनुपालनः–कृषि विभाग/ कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा/ बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर)

6.5 दोनों कृषि विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम में "जलवायु परिवर्तन" को एक विषय के रूप में रखने का निदेश दिया गया

(अनुपालनः–कृषि विभाग/ कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा/ बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर)

6.6 अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि उत्पन्न होने पर वैकल्पिक फसल के रोपण/बुआई के उपरांत बचे हुए बीज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करने का निदेश कृषि विभाग को दिया गया ताकि इनका उपयोग अगले मौसम में किया जा सके।

(अनुपालनः–कृषि विभाग)

6.7 मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार डा0 मंगला राय द्वारा सूचना प्रावैधिकी, भूगर्भ सूचना प्रणाली तथा जैविक उर्वरक के लिए जैव प्रावैधिकी पर बल देने की आवश्यकता बतायी गयी।

(अनुपालनः–कृषि विभाग)

7. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

7.1 विभाग का राज्य योजना अन्तर्गत वर्ष 2013–14 का संशोधित उद्व्यय ₹ 308.79 करोड़ है। इसके विरूद्ध दिनांक 15.01.2014 तक ₹ 123.30 करोड़ का व्यय हुआ है जो 39.93 प्रतिशत है।

7.2 इस विभाग के कृषि रोड मैप के अन्तर्गत कुल 10 कार्य मद सम्मिलित हैं। समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में कृत्रिम गर्भाधान में 32.66 प्रतिशत, पशुओं के टीकाकरण में 42.12 प्रतिशत, जीविकोपार्जन हेतु मुर्गी वितरण में 1.38 प्रतिशत, जीविकोपार्जन हेतु बकरी वितरण में शून्य, नये दुग्ध उत्पादन हेतु सहयोग समितियों के गठन में 94.94 प्रतिशत, दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार में 112.83 प्रतिशत, दुग्ध संग्रहण में 78.73 प्रतिशत, मत्स्य बीज हैचरियों के निर्माण में 42 प्रतिशत, आर्द्र जल कृषि विकास में 46.97 प्रतिशत तथा तालाबों के जीर्णोद्धार में 4.67 प्रतिशत उपलब्धि हुई है।

7.3 समीक्षा में पाया गया कि मत्स्य बीज हैचरियों के निर्माण तथा अन्य मत्स्य प्रक्षेत्र की योजनाओं के विरूद्ध लाभान्वितों को दी जाने वाली अनुदान की राशि बैंक में जमा की जाती है। बैंक द्वारा ऋण की राशि के साथ अनुदान की राशि भी लाभान्वितों को विमुक्त की जाती है। विभाग को निदेश दिया गया कि सभी कार्यक्रमों को बैंक से मुक्त रखा जाय तथा लाभान्वितों को अनुदान का भुगतान सीधे किया जाय। जो लाभान्वितों बैंक से लोन लेना चाहते है, उन्हें बैंक के माध्यम से ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालनः–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)

7.4 तालाबों के जीर्णोद्धार के संबंध में निदेश दिया गया कि क्षेत्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जाय तथा इस योजना का एक मॉडल तैयार कर सभी को उपलब्ध कराया जाय। इसी मॉडल के आधार पर कार्य कराया जाय।

(अनुपालनः–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)

8. सहकारिता विभाग

8.1 समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में निर्धारित उद्व्यय ₹ 418.70 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 15.01.2014 तक ₹ 361.21 करोड़ का विभाग द्वारा व्यय किया गया है जो 86.27 प्रतिशत है।

8.2 इस विभाग के 3 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2013–14 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध भंडारण क्षमता में पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से अभिवृद्धि में 14.49 प्रतिशत, बिहार राज्य भंडार निगम के माध्यम से भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि में शून्य तथा परिसंस्करण इकाई की स्थापना (चावल मील सह गैसीफायर) में 55.70 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

8.2 भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि (बिहार राज्य भंडार निगम) में शून्य उपलब्धि के संबंध में पृच्छा किये जाने पर प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग से संबंधित बाजार समितियों में जमीन की उपलब्धता के बाद निविदा आमंत्रित की गयी। इस प्रकिया में विलंब होने के कारण योजनाओं की स्वीकृति में विलंब हुआ। वर्ष 2014–15 के लिए गोदाम निर्माण के लिए जमीन का प्रस्ताव कृषि विभाग को भेजा गया है। विभाग को निदेश दिया गया कि कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप गोदाम निर्माण के लिए जमीन का प्रस्ताव एक साथ कृषि विभाग को भेजा जाय।

(अनुपालनः–सहकारिता विभाग)

9. जल संसाधन विभाग

9.1 गत् बैठक में पूर्वी गंडक नहर के विस्तार की योजना के गुणवत्ता के सुधार से संबंधित लिये गये निर्णय के अनुपालन के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि विभागीय उड़नदस्ता संगठन द्वारा पूर्वी गंडक नहर के पुर्नस्थापन कार्य की जॉच की गयी है एवं उड़नदस्ता संगठन से अंतरिम जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ स्थलों पर नहर सेक्सन के साइड स्लोप, नहर बांध के फॉरमेशन लेबल एवं बेड लेबल में कतिपय त्रुटियॉ पायी गयी है। उड़नदस्ता संगठन द्वारा इंगित त्रुटियों का निराकरण कुछ स्थलों पर किया गया है एवं बाकी स्थलों पर त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है। मार्च, 2014 तक गुणवत्ता में सुधार नहीं होने की स्थिति में दोषी अभियंताओं/संवेदकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालनः–जल संसाधन विभाग)

9.2 समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में निर्धारित उद्व्यय ₹ 2199.50 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 15.01.2014 तक ₹ 851.83 करोड़ का विभाग द्वारा व्यय किया गया है जो 38.73 प्रतिशत है।

9.3 इस विभाग के 3 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2013–14 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध अतिरिक्त सिंचाई के सृजन में 3.73 प्रतिशत, ह्रासित सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन में 60.27 प्रतिशत तथा जल निस्सरण योजनाओं द्वारा जल जमाव से मुक्ति में 3.37 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

9.4 प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि दुर्गावती सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन का कार्य की विस्तारित अवधि 31.03.2014 तक है। इसके पुनः विस्तार की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि इस कार्य को हर हालत में 31.03.2014 तक पूरा करा लिया जाय। इसके बाद इसका विस्तार नहीं किया जाय।

(अनुपालनः–जल संसाधन विभाग)

9.5 जल संसाधन विभाग को निदेश दिया गया कि वह नहरों तथा नदियों के तटबंध पर वृक्षारोपण संबंधी नीति पर पुनर्विचार करें।

10. लघु जल संसाधन विभाग

10.1 समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में विभाग का संशोधित उद्व्यय ₹ 265.24 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 15.01.2014 तक ₹ 162.56 करोड़ का विभाग द्वारा व्यय किया गया है जो 61.29 प्रतिशत है।

10.2 इस विभाग के 5 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2013–14 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध सिंचाई क्षमता का नया सृजन में 12.29 प्रतिशत, सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन में 33.49 प्रतिशत, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना में शून्य, नया सामुदायिक नलकूप योजना में 26.46 प्रतिशत तथा आहर पईन योजना में 119.50 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

10.3 विभाग को निदेश दिया गया कि मौसम के धोखा देने की परिस्थिति से जूझने हेतु कार्य योजना बनायी जाय। इसके लिए मौसम से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने के उपरांत उसका अध्ययन कर समेकित कार्य योजना बनाने की आवश्यकता बतायी गयी।

(अनुपालनः–लघु जल संसाधन विभाग)

11. पर्यावरण एवं वन विभाग

11.1 मनरेगा के अन्तर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण के संबंध में गत् बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन के संबंध में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि पंचायत स्तर पर नयी पंजी संधारित है। सॉफ्टवेयर में सुधार किया जा रहा है।

(अनुपालनः– पर्यावरण एवं वन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग)

11.2 वृक्ष संरक्षण योजना के संबंध में निदेश दिया गया कि पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आधार पर मनरेगा कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग कार्य करा सकता है।

(अनुपालनः– पर्यावरण एवं वन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग)

11.3 समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में विभाग का कुल उद्व्यय ₹ 193.93 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 15.01.2014 तक ₹ 90.78 करोड़ का विभाग द्वारा व्यय किया गया है जो 46.81 प्रतिशत है।

11.4 सचिव द्वारा बताया गया कि ₹ 193.93 करोड़ के उद्व्यय में डॉल्फिन शोध केन्द्र की ₹ 28 करोड़ राशि सम्मिलित है। इसके लिए पटना साइंस कॉलेज के परिसर में दो एकड़ जमीन का प्रस्ताव अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए शिक्षा विभाग को भेजा गया है। शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनुपालनः– पर्यावरण एवं वन/शिक्षा विभाग)

11.5 इस विभाग के 7 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2013–14 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगाये गये पौधों की

संख्या में 61.63 प्रतिशत, वन क्षेत्रों में जलछाजन के विकास में 68.85 प्रतिशत, नदी तटबंध एवं नहर किनारे वृक्षारोपण में 25.65 प्रतिशत, कृषि वानिकी में 66.81 प्रतिशत तथा वृक्ष संरक्षण योजना में 44.58 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है। सचिव द्वारा बताया गया कि मनरेगा कार्यक्रम के तहत लगाये गये पौधों में 170 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 70 लाख लक्ष्य की उपलब्धि हुई है।

11.6 कृषि वानिकी के अन्तर्गत 3 विभागों यथाः– कृषि विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग तथा मनरेगा कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य कराया जाना है। पर्यावरण एवं वन विभाग को निदेश दिया गया कि वे अपने विभाग से आच्छादित किये गये जमीन से संबंधित आंकड़े अपने विभाग के बेवसाइट पर अपलोड कर दें ताकि अन्य दोनों विभागों से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सके। कृषि विभाग को निदेश दिया गया कि वे तीनों विभागों के साथ इस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करते रहें।

(अनुपालनः– पर्यावरण एवं वन/ग्रामीण विकास/कृषि विभाग)

11.7 नहर के किनारे तथा नदी तटबंध पर वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी मांगे जाने पर सचिव द्वारा बताया गया कि इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा सीमायें निर्धारित की गयी है। उस सीमा के बाहर ही इन पर पौधारोपण कार्य कराने की अनुमति है। इस संबंध में विभाग से कहा गया कि यहाँ पर ऐसे पौधे लगाये जाएं, जो जल निस्सरण एवं कटाव को रोकने में मददगार हो।

(अनुपालनः– पर्यावरण एवं वन विभाग)

11.8 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पृच्छा किये जाने पर सचिव द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर राज्य में हरित आच्छादन (Green Cover) 10.2 प्रतिशत पहुँचा है। विभाग को निदेश दिया गया कि राज्य स्तरीय आंकड़े को अद्यतन करा लिया जाय तथा आच्छादन का क्षेत्र 15 प्रतिशत तक पहुचाने की कार्य योजना तैयार की जाय।

(अनुपालनः– पर्यावरण एवं वन विभाग)

12. ऊर्जा विभाग

12.1 गत् बैठक के अनुपालन के संबंध में सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड में डेडिकेटेड फीडर परियोजना का कार्य प्रारंभ हो गया है, अगस्त, 2014 तक इस कार्य को पूरा कराने का लक्ष्य है। निदेश दिया गया कि नौबतपुर के अतिरिक्त पटना जिले के अन्य प्रखंडों में भी पायलट कार्य कराया जाय।

(अनुपालनः– ऊर्जा विभाग/बी0एस0पी0एच0सी0एल0)

12.2 ऊर्जा विभाग/बिहार राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 को निदेश दिया गया कि विद्युत आपूर्ति के वर्त्तमान नेटवर्क से कृषि से संबंधित ट्रान्सफार्मर को सम्पर्क देकर इसमें पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करायी जाय। इसी से तीन फेज में आपूर्ति कर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। घरेलू विद्युत आपूर्ति एवं सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति

के लिए रोस्टर निर्धारित कर दिया जाय। इस संबंध में माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में दो घंटा सुबह तथा दो घंटा शाम में सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(अनुपालनः– ऊर्जा विभाग/बी0एस0पी0एच0सी0एल0)

12.3 समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में विभाग का कुल उद्व्यय ₹ 2735.92 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 15.01.2014 तक ₹ 1326.13 करोड़ का विभाग द्वारा व्यय किया गया है जो 48.27 प्रतिशत है।

12.4 सचिव द्वारा बताया गया कि गत् बैठक में प्राप्त निदेश के आलोक में इस विभाग के संशोधित 6 कार्य मद कृषि रोड मैप में शामिल किये गये है। वर्ष 2013–14 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली की औसतन उपलब्धता में 88 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में नये 33/11 के0भी0 के विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण में 57.69 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र में 11 के0भी0 के नये लाइन के निर्माण में 82.27 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र के वितरण ट्रान्सफार्मर क्षमता की वृद्धि में 104.32 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र के पावर ट्रान्सफार्मर के क्षमता की वृद्धि में 160.63 प्रतिशत तथा सौर ऊर्जान्वित निजी नलकूपों में 12.40 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

12.5 माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा बताया गया कि एम0पी0लैड्स एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय सांसदों एवं विधायकों द्वारा ट्रान्सफार्मर बदलने/निर्माण के लिए अलग–अलग निधि की अनुशंसा की जाती है। इसमें एकरूपता लाने की आवश्यकता बतायी गयी। ऊर्जा विभाग/बी0एस0पी0एच0सी0एल0 को निदेश दिया गया कि 63 के0भी0 एवं 111 के0भी0 के ट्रान्सफार्मर लगाने के मानक प्राक्कलन योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध करा दें। माननीय सांसद एवं माननीय विधायक से अनुशंसा प्राप्त होते ही उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी / दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मानक प्राक्कलन के अनुरूप राशि को जिला योजना पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंताओं, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत इसके लिए विमुक्त की गयी राशि की घटनोत्तर स्वीकृति जिला स्तरीय संचालन समिति से प्राप्त कर ली जायेगी।

(अनुपालनः– ऊर्जा विभाग/बी0एस0पी0एच0सी0एल0/योजना एवं विकास विभाग)

13. ग्रामीण कार्य विभाग

13.1 विभाग का कुल उद्व्यय ₹ 2233.88 करोड़ है। सचिव द्वारा बताया गया कि ₹ 400 करोड़ स्पेशल प्लान के अन्तर्गत उद्व्यय दिया गया था, परंतु स्पेशल प्लान अन्तर्गत केवल उर्जा विभाग एवं पथ निर्माण विभाग की योजनाएँ ली जाने के कारण उपर्युक्त ₹ 400 करोड़ का उद्व्यय कम हो गया है। अतः विभाग का उद्व्यय

₹ 1833.88 करोड़ रह गया है। इसके विरूद्ध 15.01.2014 तक ₹ 1305.06 करोड़ का व्यय हुआ है जो संशोधित उद्व्यय का 71.16 प्रतिशत है।

13.2 इस विभाग द्वारा कृषि रोड मैप के अन्तर्गत 2 कार्य मद शामिल है। मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 46.15 प्रतिशत तथा प्रधानमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 31.78 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

13.3 विभाग द्वारा बनाये जा रहे पुल निर्माण की योजना के संबंध में निदेश दिया गया कि पुल निर्माण के साथ–साथ पहुँच पथ भी निश्चित रूप से बनाया जाय। बिना पहुँच पथ के पुल निर्माण की योजना नहीं ली जाय। यह भी निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना अन्तर्गत निर्मित पुलों का सर्वेक्षण करा लिया जाय तथा जहाँ पर पहुँच पथ नहीं है, वहाँ प्राथमिकता देकर पहुँच पथ का निर्माण कराया जाय।

(अनुपालनः– ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग)

13.4 पुलों के पहुँच पथों के निर्माण का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत कराने हेतु ग्रामीण विकास विभाग से कहा गया। ऐसी योजनायें ग्राम सभा से पारित होने के उपरांत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निधि का हस्तांतरण ग्रामीण कार्य विभाग को किया जा सकता है।

(अनुपालनः– ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग)

14. उद्योग विभाग

14.1 गत् बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नई नीति योजना प्राधिकृत समिति से पारित है। इसे मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु भेजा जा रहा है।

(अनुपालनः– उद्योग विभाग)

14.2 समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में विभाग का कुल उद्व्यय ₹ 1152.92 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 15.01.2014 तक ₹ 807.79 करोड़ का विभाग द्वारा व्यय किया गया है जो 70.06 प्रतिशत है।

14.3 इस विभाग के 3 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2013–14 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध शीत भंडारण क्षमता (उद्यान प्रभाग मिलाकर) में 92.50 प्रतिशत, राईस मिलिंग क्षमता में 16.00 प्रतिशत तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाई (राइस मिल को छोड़कर) में 125.00 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

15. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15.1 गत् बैठक की अनुपालन के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि 3 वर्ष में भू–सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने के लिए 3 एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। परंतु एक एजेंसी आई0एफ0एन0एस0 पर आई0बी0 द्वारा आपत्ति की गयी है। निदेश

दिया गया कि मुख्य सचिव के स्तर पर आई0बी0 से वार्त्ता कर समस्या का समाधान करा लिया जाय।

(अनुपालनः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

15.1 समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में विभाग का कुल उद्व्यय ₹ 380.77 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 15.01.2014 तक ₹ 30.01 करोड़ का विभाग द्वारा व्यय किया गया है जो 7.88 प्रतिशत है।

15.2 इस विभाग के 3 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2013–14 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व मानचित्रों के निर्माण में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 37.94 प्रतिशत, खानापुरी में 2.57 प्रतिशत, तथा सर्वे–री–सर्वे में 0.76 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन 15 ग्रामों का मानचित्र प्राप्त हो रहा है।

15.3 विभाग की महादलितों की योजना की गहन समीक्षा करने हेतु विभाग को निदेश दिया गया तथा लिक से हटकर इनके लिए सार्थक कार्य करने का सुझाव दिया गया।

(अनुपालनः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

16. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

16.1 समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में विभाग का कुल उद्व्यय ₹ 1702.36 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 15.01.2014 तक ₹ 656.89 करोड़ का विभाग द्वारा व्यय किया गया है जो 38.59 प्रतिशत है।

16.2 इस विभाग के 3 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2013–14 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध गोदामों का निर्माण (भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि) 10.81 प्रतिशत, गेहूँ अधिप्राप्ति में शून्य प्रतिशत तथा धान अधिप्राप्ति में 1.20 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

14.2 धान अधिप्राप्ति की उपलब्धि के संबंध में पृच्छा किये जाने पर प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि धान का समर्थन मूल्य कम रहने के कारण किसानों द्वारा धान की अधिप्राप्ति नहीं करायी जा रही है। विभाग को निदेश दिया गया कि समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को 250 रू0/क्वि0 बोनस के रूप में दिया जाय। इससे संबंधित प्रस्ताव अगली मंत्रिपरिषद की बैठक में निश्चित रूप से लाया जाय।

(अनुपालनः– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

17. गन्ना उद्योग विभाग

17.1 गत् बैठक में कृषकों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ना के मूल्य का ससमय भुगतान होने से संबंधित अनुपालन के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत राज्य की चीनी मिलों एवं उत्तर प्रदेश की चीनी मिल (प्रतापपुर एवं पड़रौना) द्वारा कुल 599.01 लाख क्वि0 गन्ना की खरीद की गयी जिसका मूल्य ₹ 147.44 करोड़ हुआ। इसमें से ₹ 144.71 करोड़ का भुगतान चीनी मिलों द्वारा गन्ना

कास्तकारी को कर दिया गया है। शेष बची राशि का भुगतान एक पक्ष के अंदर करने हेतु चीनी मिल मालिकों को निदेश दिया गया है।

मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा कराकर कास्तकारों को शीघ्र भुगतान कराने का निदेश विभाग को दिया गया।

(अनुपालनः— गन्ना उद्योग विभाग)

17.2 समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013—14 में विभाग का कुल उद्व्यय ₹ 84.91 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 15.01.2014 तक ₹ 34.34 करोड़ का विभाग द्वारा व्यय किया गया है जो 39.44 प्रतिशत है।

17.3 इस विभाग के 3 कार्य मद कृषि रोड मैप में सम्मिलित है। वर्ष 2013—14 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध गन्ना के साथ दलहन, तेलहन एवं सब्जी के अंतरवर्ती खेती हेतु बीज अनुदान में 10.24 प्रतिशत एवं गन्ना के उत्तम प्रभेदों में बीज के अनुदानित दर पर वितरण में 49.14 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

17.4 गन्ना से चीनी के रिकभरी के प्रतिशत में वृद्धि के संबंध में विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई से प्रधान सचिव द्वारा अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि फसल कटनी के पूर्व एवं फसल कटनी के बाद प्रबंधन के तहत 9.5 प्रतिशत से रिकभरी बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम, जी0पी0एस0 सिस्टम तथा नई प्रोत्साहन नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है।

गन्ना रिकभरी दर बढ़ाने के संबंध में डा0 मंगला राय, मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार द्वारा निम्नांकित सुझाव दिये गयेः—

- महाराष्ट्र की तरह खेत से फसल काटकर मिल वाले सीधे मिल में ले जायें।
- व्यापक प्रचार—प्रसार कराया जाय।
- मशीनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।
- गन्ना के फसल में लगने वाले रोगों से निदान के लिए प्रबंधन की व्यवस्था की जाय।
- गन्ना के कटनी का समय नियमित किया जाय।

डा0 राय के उपर्युक्त सुझाव पर कार्रवाई करने का निदेश प्रधान सचिव को दिया गया।

(अनुपालनः— गन्ना उद्योग विभाग)

17.5 पश्चिमी चम्पारण/पूर्वी चम्पारण में एक आधुनिक एवं बड़ा गन्ना शोध संस्थान के स्थल चयन के लिए डा0 मंगला राय की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस समिति में दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रधान सचिव, कृषि विभाग तथा प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग सदस्य के रूप में रहेंगे।

(अनुपालन—कृषि विभाग/गन्ना उद्योग विभाग)

17.6 गन्ना से इथानोल बनाने के संबंध में बिहार सरकार द्वारा 2007 में बनाये गये अधिनियम के संबंध में पृच्छा किये जाने पर प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि महामहिम राष्ट्रपति की आपत्ति के उपरांत यह अधिनियम वापस आ गया है। इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा सुझाव दिया गया कि महामहिम राष्ट्रपति के आपत्ति के बाद इस प्रस्ताव को पुनः भेजना उचित नहीं होगा। इसके बदले एक नया प्रस्ताव तैयार कराने का सुझाव उनके द्वारा दिया गया।

विभाग को निदेश दिया गया कि नया प्रस्ताव तैयार कर यदि संभव हो तो विधान मंडल के आगामी सत्र में इसको लाया जाय।

(अनुपालन– गन्ना उद्योग विभाग)

अंत में प्रधान सचिव, कृषि विभाग के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह0/–
(ए0 के0 सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांकः मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद–05/2011 दिनांक फरवरी, 2014

प्रतिलिपिः मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मंत्री, वित्त विभाग/कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/उद्योग विभाग/ आपदा प्रबंधन विभाग/सहकारिता विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/योजना एवं विकास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ सूचना प्रावैधिकी विभाग/पंचायती राज विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद–05/2011 दिनांक फरवरी, 2014

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद–05/2011 दिनांक फरवरी, 2014

प्रतिलिपिः उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/डा0 मंगला राय, मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार, बिहार, पटना/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद–05/2011 278 दिनांक 26 फरवरी, 2014

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/उद्योग विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/सहकारिता विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/योजना एवं विकास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ सूचना प्रावैधिकी विभाग/पंचायती राज विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

26.2.14